



भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग
कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, उत्तर प्रदेश
**INDIAN AUDIT AND
ACCOUNTS DEPARTMENT**
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL
(ACCOUNTS & ENTITLEMENT), II UTTAR PRADESH
इलाहाबाद / ALLAHABAD

पत्र सं. :
Letter No. : परिपत्र सं० AE-2/03/WM-II / 680
दिनांक : 08-07-2019
Date :

सेवा में,

सभी खण्डीय लेखाकार/खण्डीय लेखाधिकारी,
उ० प्र०।

विषय:- एस० ए० एस० (सिविल लेखा व लेखा परीक्षा) प्रशिक्षण अवधि एवं परीक्षा अवधि में TA/DA दिए जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- मुख्यालय के पत्र संख्या 1031-staff(Entt.I)/52-2019 दिनांकित 10.06.2019

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक पत्र के अनुपालन में अवगत कराना है कि FRSR Part-II के SR 130 (a) एवं (c) के प्रावधानों के अनुसार Obligatory departmental or language examination हेतु T.A. व D.A दिए जाने का प्रावधान है जो खण्डीय लेखाकारों के प्रकरण में लागू नहीं होता है।

यह पत्र महालेखाकार महोदया के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय
8/7/19
उपमहालेखाकार/डी० ए० सी० सी०

पत्रांक:- AE-2/03/WM-II /

तददिनांक

प्रतिलिपि:-

1. समस्त अधिशाषी अभियन्ता को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. महासचिव, उत्तर प्रदेश प्रभागीय लेखाधिकारी/लेखाकार संघ, कार्यालय ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, विकास भवन के पास, सर्वोदय नगर, इन्दिरा नगर, लखनऊ-16 को सूचनार्थ प्रेषित।

लेखाधिकारी/नि० वि०-II

कार्यालय महालेखाकार (ले० व ह०), द्वितीय, उ०प्र०, इलाहाबाद

परिपत्र सं०: AE-2/03/WM-II / 680

दिनांक-08.07.2019

सेवा में,

सभी खण्डीय लेखाकार/खण्डीय लेखाधिकारी,
उ० प्र०।

विषय:- एस० ए० एस० (सिविल लेखा व लेखा परीक्षा) प्रशिक्षण अवधि एवं परीक्षा अवधि में TA/DA दिए जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- मुख्यालय के पत्र संख्या 1031-staff(Entt.I)/52-2019 दिनांकित 10.06.2019

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक पत्र के अनुपालन में अवगत कराना है कि FRSR Part-II के SR 130 (a) एवं (c) के प्रावधानों के अनुसार Obligatory departmental or language examination हेतु T.A. व D.A दिए जाने का प्रावधान है जो खण्डीय लेखाकारों के प्रकरण में लागू नहीं होता है।

यह पत्र महालेखाकार महोदया के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय




उपमहालेखाकार/डी० ए० सी० सी०

पत्रांक:- AE-2/03/WM-II / 681

तददिनांक

प्रतिलिपि:-

1. समस्त अधिशाषी अभियन्ता को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. महासचिव, उत्तर प्रदेश प्रभागीय लेखाधिकारी/लेखाकार संघ, कार्यालय ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, विकास भवन के पास, सर्वोदय नगर, इन्दिरा नगर, लखनऊ-16 को सूचनार्थ प्रेषित।


लेखाधिकारी/नि० वि०-II